न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 94/2011

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. श्रवणराम पुत्र कानाराम
2. जीवणराम पुत्र कानाराम
3. हीराराम पुत्र कानाराम
4. गणपतिदेवी बेवा इन्द्राराम
5. रतनाराम पुत्र इन्द्राराम
6. शेराराम पुत्र इन्द्राराम
7. शिवकरण पुत्र इन्द्राराम

जातियान-जंगलिया, निवासीगण
लाकासनी रास, हाल-गांव-भूम्बलिया
तहसील-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

1. शंकरलाल पुत्र मोहनराम
जाति-सुथार, निवासी-सेवरिया
तहसील-जैतारण, जिला-पाली
2. तहसीलदार, जैतारण
तहसील-जैतारण,जिला-पाली

राजस्व वाद स्थाई निषेधाज्ञा पेमाईश व तरमीम करवाने अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 28 एल0आर0एक्ट

तारीख रजू: 04/05/2011

उपस्थित:. 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री शाकीर हुसैन, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- दिनॉक: 06/07/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि राजस्व मौजा-सेवरिया, पटवार हल्का-सेवरिया, तहसील-जैतारण में वादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1356/40 रकबा 20-05 बीघा किस्म बा0दो0 की आई हुई हैं। जिसके वादीगण रेकर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार हैं। वादीगण के अलावा इस आराजी के खातेदार केसी बेवा कानाराम जो कि वादीगण की माता थी, जो फौत हो गई हैं। वादीगण ही उसके विधिक उत्तराधिकारी हैं। इसी प्रकार सुखा पुत्र कानाराम भी लावल्द फौत हो गये हैं। वादीगण ही उनके विधिक उत्तराधिकारीगण हैं। इस आराजी खसरा नम्बर 1365/40 में वादीगण के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक अधिकार व कब्जा आदि नहीं हैं। नकल चालू जमाबंदी की वाद पत्र के साथ पेश की है। इस आराजी को वाद पत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। आराजी खसरा नम्बर 1356 में वादीगण के अलावा और अन्य कई व्यक्ति खातेदार काश्तकार हैं तथा इसमें प्रतिवादीगण भी खातेदार काश्तकार हैं। लेकिन प्रतिवादीगण संख्या एक की खातेदारी जमीन अलग से हैं व वादीगण की जमीन मौके पर अलग से बंटी हुई हैं। केवल राजस्व रेकर्ड में भूमि तरमीम नही होने की वजह से प्रतिवादीगण संख्या एक की नियत खराब हो रही हैं। जिसको लेकर के सीमाओं का विवाद हैं। प्रतिवादीगण संख्या एक बदमाश प्रवृति का व्यक्ति हैं, जो जबरदस्ती धन बल व संख्या बल के आधार पर वादीगण को उनके हक हिस्से की आराजी से बेकाबिज कर वंचित करना चाहता हैं। दिनांक 17/04/2011 को भी प्रतिवादीगण संख्या एक ने नाप चौप को लेकर के विवाद कर बाड तौडने का प्रयास किया हैं। तब वादीगण द्वारा विरोध करने पर भविष्य में सम्पूर्ण आराजी पर अपना कब्जा जमा

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

होने की एलानिया धमकी दी हैं। यदि प्रतिवादीगण संख्या एक ऐसा दुष्कृत्य करने में सफल हुआ, तो वादीगण को असीम क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर मुमकिन नही हो सकेगी एवं वादीगण प्रतिवादीगण के ऐसे अवैध कृत्यों का विरोध करेगें जिससे विवाद बढेगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। तब वादीगण के पास अदालत हाजा में यह वाद पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वाद पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। वादीगण की आराजी खसरा नम्बर 1356/40 रकबा 20-05 बीघा वादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जगीन हैं। जिसकी सीमाओं को लेकर के प्रतिवादीगण संख्या एक आये दिन मौके पर विवाद करता रहता हैं एवं वादीगण द्वारा कायम किये गये मुडडो को भी प्रतिवादीगण संख्या एक ने हटा दिया हैं। इस बाबत वादीगण की आराजी की पैमाईश कर मौके पर पत्थरगढी व नेखमबंदी की जाना आवश्यक हैं। साथ ही वादीगण के हक हिस्से की इस आराजी को नक्शा ट्रेश के माफिक मौके पर कब्जा व काश्त के अनुसार तरगीम भी किया जाना आवश्यक हैं। इसी बाबत यह पत्र सादर पेश हैं। प्रतिवादी संख्या दो भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधी हैं। जिनके विरुद्ध वाद पेश करने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक होता हैं परन्तु नोटिस देने में लम्बा समय लगने की संभावना है। इसलिये नोटिस देना डिस्पेन्सविथ कर यह वाद श्रीमान के समक्ष साद पेश किया जा रहा हैं। अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र साथ पेश हैं। बिनाय वाद दिनांक 17/04/2011 को प्रतिवादीगण संख्या एक द्वारा वादीगण को उनके कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम-रोवरिया, तहसील-जैतारण में पैदा हुआ हैं, जो अन्दर म्याद व श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार हैं।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। वकील गै0सा0 ने वकालतनामा पेश किया। जबाब पेश करने का समय चाहा हैं। पत्रावली राजस्व शिविर बमुकाम-रोवरिया में पेश हुई। जबाब हेतु प्रतिवादी को कई बार समय दिया, किन्तु उनके द्वारा जबाब पेश नहीं करने से उनका जबाब बन्द किया जाता हैं। वादी राजस्व रेकर्ड के अनुसार खातेदार काश्तकार हैं तथा प्रतिवादीगण को कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से रोकना उचित समझते हैं। सीमांकन हेतु वादी ने निवेदन किया हैं।

-:: आदेश ::-

अतः डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा-रोवरिया, पटवार हल्का-रोवरिया, तहसील-जैतारण में वादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जगीन खसरा नम्बर 1356/40 रकबा 20-05बीघा किस्म बा0दो0 में वादी की हिस्से की जमीन में स्थाई निषेधाज्ञा के प्रतिवादीगण को रोका जाता हैं। तहसीलदार, जैतारण को सीमांकन करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं। तहसीलदार, जैतारण को डिक्री की प्रति भेजकर पालना हेतु लिखा जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर साथिल मिसल किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 06/07/2015 को राजस्व लोक अदालत आयोजित शिविर -रोवरिया में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

पेशी अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण

ईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

वादी :-

1. श्रवणराम पुत्र कानाराम
2. जीवणराम पुत्र कानाराम
3. हीराराम पुत्र कानाराम
4. गणपतिदेवी बेवा इन्द्राराम
5. रतनाराम पुत्र इन्द्राराम
6. शेराराम पुत्र इन्द्राराम
7. शिवकरण पुत्र इन्द्राराम

जातियान-जंगलिया, निवासीगण लाकासनी रास, हाल-गांव-भूम्बलिया तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. शंकरलाल पुत्र मोहनराम जाति-सुथार, निवासी-सेवरिया तहसील-जैतारण, जिला-पाली
2. तहसीलदार, जैतारण तहसील-जैतारण, जिला-पाली

मु0न0 :रा0वा0 स0:94/2011

राजस्व वाद स्थाई निषेधाज्ञा पेमाईश व तरमीम करवाने अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 28 एल0आर0एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व श्री शाकीर हुसैन, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा-सेवरिया, पटवार हल्का-सेवरिया, तहसील-जैतारण में वादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 1356/40 रकबा 20-05बीघा किस्म बा0दो0 में वादी की हिस्से की जमीन में स्थाई निषेधाज्ञा के प्रतिवादीगण को रोका जाता हैं। तहसीलदार, जैतारण को सीमांकन करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं। तहसीलदार, जैतारण को डिक्री की प्रति भेजकर पालना हेतु लिखा जावें। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शरह ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 06/07/2015 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

मुद्धई	रूपये · पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02-00	स्टाम्प वकालतनामा	01-00
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	02-00	महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	02-00	फीस कमीशनर	
फीस कमीशनर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुतफरिक	
मिजानः-	07-00	मिजानः-	01-00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner